एस डी ओ / रीडर

14/5/18 पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। वादी का वाद
डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से शामिल
पत्रावली किया गया। पत्रावली [illegible] [illegible]
डिक्री नकल ले जावे तथा बाद तकमील
दाखिल दफ्तर हो।

राजस्थान सरकार

प्रपत्र -5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,कोटकासिम)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)कैम्प [illegible]

पीठासीन अधिकारी [illegible] R.A.S

दावा बाबतः- 188 उनवान [illegible] बनाम [illegible]

मुकदमा नम्बरः- 55/15

निर्णय दिनांकः- 14.5.18

वादी की ओर से [illegible] की व प्रतिवादी की ओर से ——— की उपस्थिति में आज तारीख .... को .... (नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,आदेश किया जाता है ओर डिग्री दी जाती कि - विवादित आराजी खसरा नं. 484/0.0600 हैक्टेयर वाके ग्राम [illegible] तहसील कोटकासिम में वादी का [illegible] डिक्री किया जाता है। वादी अपनी आराजी की पैमाइश करावे। [illegible]

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेगें ।

यह आज तारीख 14.5.18 को मेरे हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

[signature]

([illegible] मीणा R.A.S)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर ,कोटकासिम

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी : बलवन्तसिंह लिग्री आर. ए. एस.

राजस्व वादपत्र सं0	दायरा दिनांक	प्रार्थनापत्र निर्णय दिनांक
55/2013	15.03.2013	04-02-2015

उनवान

1. बलवन्त पिसान मु0 फूलवा जाति जाट निवासी ग्राम बघाना तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

:– वादी/अप्रार्थी

बनाम

1. रायसिंह पुत्र चन्दू उम्र करीब 70 साल
2. भगवाना पुत्र चन्दू उम्र करीब 65 साल
3. सभाचन्द पुत्र चन्दू उम्र करीब 60 साल
4. सुजान पुत्र श्रीराम उम्र करीब 57 साल
5. हुकम पुत्र श्रीराम उम्र करीब 53 साल
6. करणसिंह उर्फ करणा पुत्र श्रीराम उम्र करीब 50 साल
7. कमल पुत्र श्रीराम उम्र करीब 45 साल
8. बलवान पुत्र श्रीराम उम्र करीब 40 साल जाति जाटान निवासीयान ग्राम बघाना तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

:– प्रतिवादीगण/प्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 व
सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थित :

1. श्री राकेशकुमार अधिवक्ता, प्रार्थी/प्रतिवादी
2. श्री रामफल यादव अधिवक्ता, अप्रार्थी/वादी

निर्णय

प्रार्थी प्रतिवादी की ओर से प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी इस न्यायालय पेश

Scanned by CamScanner

कर निवेदन किया कि विवादित आराजी हाल ख0 नं0 487 रकबा 6 एयर वाके ग्राम बघाना तहसील कोटकासिम की मौका रिपोर्ट मंगवाई जावे ताकि श्रीमान को वस्तुस्थिति का ज्ञान हो सके और अदालत श्रीमान को न्याय करने में मदद मिल सके। अतः प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजी ख0 नं0 487 रकबा 6 एयर वाके ग्राम बघाना तहसील कोटकासिम की मौका रिपोर्ट किसी राजस्व अधिकारी मय हल्हा पटवारी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मंगवाई जावे।

प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि अप्रार्थी/वादी वकील को दी गई।

अप्रार्थी/वादी वकील ने जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया प्रार्थनापत्र में अंकन किया कि आराजी ख0 नं0 487 रकबा 6 एयर का वादी काबिज काश्त खातेदार है और किसी भी रूप में अप्रार्थी का संबंध व सरौकार नहीं है। ऐसी सूरत में मौके की रिपोर्ट मंगवाये जाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। क्योंकि इससे मुकदमें में झगड़ा फिसाद होने की प्रबल सम्भावना होती है। पक्षकार स्वयं अपना साक्ष्य पेश करे। मौका रिपोर्ट द्वारा कोई साक्ष्य एकत्रित नहीं की जा सकती है। इसलिए प्रार्थी प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी हाल ख0 नं0 487 रकबा 6 एयर वाके ग्राम बघाना तहसील कोटकासिम की वस्तुस्थिति हेतु मौका रिपोर्ट मंगवाई जावे ताकि अदालत श्रीमान को न्याय करने में मदद मिल सके। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजी ख0 नं0 487 रकबा 6 एयर वाके ग्राम बघाना तहसील कोटकासिम की मौका रिपोर्ट किसी राजस्व अधिकारी मय हल्का पटवारी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मंगवाई जावे।

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व कहा कि आराजी ख0 नं0 487 रकबा 6 एयर वाके ग्राम बघाना का वादी काबिज काश्त खातेदार है और इस आराजी से किसी भी रूप में अप्रार्थी का संबंध व सरौकार नहीं है। ऐसी सूरत में मौके की रिपोर्ट मंगवाये जाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। क्योंकि इससे मुकदमें में झगड़ा फिसाद होने की प्रबल सम्भावना होती है। मौका रिपोर्ट द्वारा कोई साक्ष्य एकत्रित नहीं की जा सकती है। पक्षकार स्वयं अपना साक्ष्य पेश करे। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

मेरे द्वारा उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया गया। मुताबिक रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस व वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी के बीच में लगता हुआ आम रास्ता है। प्रार्थी द्वारा इस आम रास्ते पर अप्रार्थी द्वारा अवैध कार्य/निर्माण करने की सम्भावना व्यक्त की गई है। विचाराधीन वाद तकासमा का नहीं है। ऐसी स्थिति में मौके की स्थिति की जांच हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत है।

आदेश

प्रार्थी/वादी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ख0 नं0 487/0.0600 हैक्टेयर वाके ग्राम बघाना तहसील कोटकासिम पर तहसीलदार, कोटकासिम को 1000/—रू0 शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क अदा किये जाने पर विवादित आराजी की मौका जांचकर मौका रिपोर्ट तीन दिवस में इस कार्यालय में पेश करे। प्रार्थनापत्र निर्णय शुमार होकर संलग्न मूल वाद पत्रावली किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 04-02-2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned by CamScanner